मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 (श्रावण 8, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7,9,10 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 150 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1)	श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने जिला बालाघाट की ग्राम पंचायत परसवाड़ा के खसरा नं. 208 को जनपद पंचायत परसवाड़ा के नाम स्थानांतरित करने की जांच कराया जाना।
(2)	श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य ने कान्हा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को विशेष वेतन भत्ता दिये जाना।
(3)	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने जन स्वास्थ्य रक्षक जन आरोग्य मित्र एवं प्राथमिक चिकित्सक को प्रत्येक जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सूचीबद्ध करते हुए इन्हें पहचान पत्र प्रदान किये जाना।
(4)	श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में खिलाड़ियों हेतु स्टेडियम का निर्माण कराया जाना।
(5)	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नांदलेटा में कालबेलिया बस्ती पहुंच मार्ग पर स्थित नाले पर पुलिया निर्माण कराया जाना।
(6)	श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा में सेवढ़ा एवं इंदरगढ़ के रेस्ट हाउस के क्षतिग्रस्त होने से नवीन रेस्ट हाउस निर्माण एवं ग्राम रठावली, परसौदा गुजर, नीमडांढ़ा में पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाना।
(7)	श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान में खण्डवा जिले के देश में प्रथम आने पर मान. प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना।
(8)	श्री महेश परमार, सदस्य ने साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश के सभी संभागों में साइबर फारेंसिक लैब स्थापित किया जाना।
(9)	श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य ने प्रदेश में ओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न मिल पाना।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

शून्यकाल, ध्यानाकर्षण एवं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने संबंधी.

उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण दिया है आदिवासियों की जमीन और वन भूमि के पट्टों एवं किसानों की खाद की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी दिया है. मेरा निवेदन है कि आप इनको चर्चा के लिये स्वीकृत करे. डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने भी उल्लेख किया कि उनके द्वारा भी शून्यकाल की सूचना दी है. मुझे भी सुना जाये. इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि एक दिन के लिये 10 सूचनाओं का चयन किया जाता है आपकी सूचना पेंडिंग है तो वह भी आएगी.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 92वां, 93वां एवं 94वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 पटल पर रखा गया.

(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1159/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 19 जून, 2025 एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 पटल पर रखी गईं.

(3) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, एवं

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 के उपनियम (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखे गए.

(4) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गये.

5. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य ने** खरगौन जिले के महेश्वर जल विद्युत परियोजना का कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य तथा श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

(2) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य ने** मध्यप्रदेश में संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने (संस्कृत में सूचना पढ़ी गई) की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. (मंत्री द्वारा प्रारंभ के कुछ अंश संस्कृत में पढ़े गये) सर्वश्री गोपाल भार्गव, फुन्देलाल सिंह मार्को, जयवर्धन सिंह तथा अनिल जैन (कालूहेडा) सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति** ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति** ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचदश विधान सभा के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों संबंधी तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 5 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)
(2) **श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-**ग्वालियर)
(3) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-**रतलाम)
(4) **श्री बाला बच्चन (जिला-**बड़वानी)
(5) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)
(6) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(7) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(8) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर-मालवा)
(9) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(10) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)
(11) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(12) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(13) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)

(14) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)
(15) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(16) **श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-**शिवपुरी)
(17) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(18) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(19) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(20) **श्री मुकेश टंडन (जिला-** विदिशा)
(21) **श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-**सागर)
(22) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-**मण्डला)
(23) **श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-**गुना)
(24) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(25) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(26) **श्री अरूण भीमावद (जिला-**शाजापुर)
(27) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला-**मुरैना)
(28) **श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-**ग्वालियर)
(29) **श्री अमर सिंह यादव (जिला-**राजगढ़)
(30) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(31) **श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-**दतिया)
(32) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(33) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-**टीकमगढ़)
(34) **श्री दिव्यराज सिंह (जिला-**रीवा)
(35) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-** छतरपुर)
(36) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(37) **श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-**नीमच)
(38) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(39) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)
(40) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)
(41) **श्री राजन मण्डलोई (जिला-**बड़वानी)
(42) **इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-**सागर)
(43) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**सिवनी)
(44) **श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-**गुना)
(45) **श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-**बालाघाट)
(46) **श्री दिनेश जैन बोस (जिला-**उज्जैन)
(47) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(48) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(49) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)
(50) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(51) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-**अशोकनगर)
(52) **श्री मोहन शर्मा (जिला-**राजगढ़)
(53) **श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-**कटनी)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(3) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

9. वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं.

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ पैतीस करोड़, छत्तीस लाख, अस्सी हजार, नौ सौ अठान्वे रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लखन घनघोरिया

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(अपराह्न 1.35 बजे से 3.06 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस

10. अध्यक्षीय घोषणा

समय सीमा में चर्चा समाप्त करने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि अभी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक-एक व्यक्ति बोलें, इस चर्चा पर दो घंटे का समय निश्चित है. लगभग 50 मिनट की चर्चा पूरी हो गई है और सामान्य तौर पर सदन का नियम यह है कि कुल मिलाकर संख्या बल के हिसाब से ही समय का आवंटन होता है इसलिये हम सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिये कि दो घंटे में कितना समय पक्ष के पास है और कितना समय विपक्ष के पास है इसलिये मेरी सभी सदस्यों से यह प्रार्थना है तथा मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि सभी सदस्य अपनी बात रख पायें. लेकिन समय जो है, उसकी इजाजत नहीं देता है तो बार-बार आग्रह करना पड़ता है इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि तीन मिनिट में अपनी बात पूरी करेंगे तो सब लोग बोल पायेंगे, नहीं तो फिर आगे की चर्चा में कुछ लोगों की कटौती करना पड़ेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय का सभी लोग ध्यान रखें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक ने निवेदन किया कि बहुत सारे हमारे नये विधायक आपका संरक्षण चाहते हैं, थोड़ा समय बढ़ा देंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं. इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समय बढ़ाना न बढ़ाना अलग बात है, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में जो चीजें तय हुई हैं, कभी-कभी हमको उनकी पालना करने की आदत अपने भीतर भी डालना चाहिए कि कैसे हम समाहित कर सकते हैं.

(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(5) श्री भंवर सिंह शेखावत
(6) श्री कमलेश्वर डोडियार

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

(7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(8) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(9) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
(10) श्री गौरव सिंह पारधी
(11) श्री महेश परमार

11. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि अनुपूरक की मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित 2 घंटे की अवधि पूर्ण हो चुकी है, परन्तु बोलने वाले सदस्यों की संख्या अभी भी अधिक है. अतः वित्त विषयक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तीन-तीन मिनट में अपनी बात रखें.

(12) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
(13) श्री नारायण सिंह पट्टा
(14) श्री उमाकांत शर्मा
(15) डॉ. हिरालाल अलावा
(16) श्री सिद्धार्थ तिवारी
(17) श्री सुरेश राजे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(18) श्री नीरज सिंह ठाकुर
(19) श्री कैलाश कुशवाहा
(20) श्री राजेश कुमार वर्मा
(21) श्री पंकज उपाध्याय
(22) श्री दिनेश गुर्जर
(23) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(24) श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.
अनुपूरक अनुमान की मांगों पर सदन का मत लिया गया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय वित्त विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) का पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 06:50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 31 जुलाई, 2025 (श्रावण 9, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक 30 जुलाई, 2025